ज्ञान तत्व अंक 146

(क) लेख, हिन्दू कोड बिल और अम्बेडकर की भूमिका ।

(ख) कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर ।

(ग) डॉ0 गोपीरंजन साक्षी, तिला रोड, सागर, मध्यप्रदेश। का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(घ) हिन्दू स्वराज्य विचार मंच – दिल्ली।

हिन्दू कोड बिल और अम्बेडकर की भूमिका

सामान्तया मैं गॉधी का प्रशंसक रहा हूँ। साथ ही मेरी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के प्रति भी अच्छी भावना रही है। स्वतंत्रता के बाद प्रारम्भिक वर्षो में मैंने स्वयं सवर्णो विशेषकर ब्राम्हणों का जो व्यवहार न सिर्फ देखा ही बल्कि भोगा भी उसने मेरे मन में अम्बेडकर के प्रति अच्छे विचार भरने में मदद की। अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के जो प्रावधान शामिल किये वे सामयिक आवश्यकता थे। गॉधी जी की सोच के प्रति कई मामलों में असहमत होते हुए भी अम्बेडकर जी के मन में गॉधी जी के प्रति प्रेम पाया जाता है।

मैं स्वतंत्रता के बाद किये गये प्रथम गंभीर अपराध के रुप में हिन्दू कोड बिल को मानता हूँ। वैसे तो गॉधी हत्या इससे अधिक हानिकर प्रभाव छोड गई किन्तु गॉधी हत्या एक व्यक्ति का अपराध था जिसमें देश की व्यवस्था का कोई हाथ नहीं था किन्तु हिन्दू कोड बिल एक सोचा–समझा योजनाबद्ध संवैधानिक अपराध था जो भारत के संविधान निर्माताओं तथा संरक्षकों ने समाज हित के नाम पर किया। हिन्दु कोड बिल ने भारत की समाज व्यवस्था को धर्म के नाम पर बांटने में भरपूर मदद की। इस बिल के कुछ प्रावधानों ने तो राज्य को समाज के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप के सभी द्वार ही खोल दिये। मुझे आश्चर्य होता है कि भारत में इस बिल के किस प्रावधान को इतना क्रांतिकांरी माना गया जिसके आधार पर इसके विध्वंसक परिणाम देखते हुए भी कुल मिलाकर इसे अच्छा और लाभदायक माना जाता है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम बिना पढ़े और बिना समझे ही हर उस बात की प्रशंसा करने लग जाते हैं जो नेहरू, अम्बेडकर के नाम से जुड़ी दिखती हो।

हिन्दू कोड बिल का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ा एक विवाह की अनिवार्यता पर। इस कानून ने हिन्दूओं के एक से अधिक स्त्रियों से विवाह पर रोक लगा दी। कानून यदि सम्पूर्ण समाज पर लागू होता तो इसके लाभ–हानि का सार्थक आकलन संभव था किन्तु एक धर्म विशेष पर लागू करके दूसरों को बाहर रखने से क्या आकलन करें। यदि यह मान लिया जाय कि मुसलमानों द्वारा यह व्यवस्था स्वीकार न करने के कारण ही उनमें अधिक गरीबी और अशिक्षा है तो क्या यह परिणाम आज के लोग मानने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो विचारणीय यह है कि यदि यह कानून नहीं होता तो इस्लाम की अपेक्षा हिन्दुओं पर कौन–सा अधिक संकट आ सकता था? यदि यह प्रावधान इतना ही अधिक क्रांतिकारी था तो मुसलमानों को इससे अलग रखना उनकी अच्छाई तथा भलाई मानकर किया गया या बुराई।

दूसरा क्रांतिकारी कदम है लड़िकियों को सम्पत्ति में अधिकार। इस प्रावधान की अत्यन्त आवश्यकता थी। लड़कियों को परिवार की सम्पत्ति से अलग रखना पूरी तरह गलत प्रथा थी। किन्तु कोड बिल ने इस प्रथा को सुलझाने की अपेक्षा और अधिक उलझा दिया। यदि यह प्रावधान होता कि ''परिवार पंजीकृत होगा और परिवार की सम्पत्ति में सभी सदस्यों का हिस्सा बराबर होगा। कोई सदस्य अलग सम्पत्ति नही रख सकेगा, क्योंकि परिवार का सदस्य रहते हुए सम्पत्ति पर सामूहिक मिल्कियत होगी'' तो क्या बिगड़ जाता? सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकांश विवाद होते ही नहीं। हमारे विद्वानों ने ना समझी में सम्पत्ति के उत्तराधिकार की प्रक्रिया को जटिल किया या जान बूझकर यह तो पता नहीं किन्तु यह अवश्य दिखता है कि यह प्रक्रिया पारिवारिक टकराव और वकीलों का स्वर्ग बन गई है।

विधवा विवाह के लिए भी इस बिल की प्रशंसा की जाती है। मैं आज तक नहीं समझा कि इस सम्बन्ध में कौन–सी नई व्यवस्था है। स्वतंत्रता के पूर्व भी विधवा विवाह पर सामाजिक प्रतिबंध था, संवैधानिक प्रतिबन्ध नहीं था। कोई विधवा यदि किसी अन्य पुरूष के साथ चली जावे तो मुझे तो कहीं नहीं पता चला कि उसे किसी कानून के अन्तर्गत दण्डित करने और सम्बन्ध विच्छेद कराने का प्रावधान था। यदि सामाजिक अनुशासन की बात करें तो आज भी वैसा ही कायम है। यदि यह कानून नहीं होता तब भी इस मामले में आज हिन्दू समाज की मान्यताएँ वैसे ही होती जैसे अभी हैं। बल्कि मेरा तो मानना है कि यदि सरकार हस्तक्षेत्र नहीं करती तो शायद सामाजिक संस्थाएँ इस पर अधिक ध्यान देतीं।

हिन्दु कोड बिल कितना लाभदायक कितना हानि कर इस विषय पर अभी मेरी जानकारी अधूरी है और चर्चा बढ़ाने पर अधिक जानकारी बढ़ेगी किन्तु कोड बिल पारित कराने में अम्बेडकर जी, की विशेष रूचि ने मेरे सोच में बहुत बदलाव किया, जब मैंने सम्यक प्रकाशन की एक पुस्तक में सोहन लाल जी विद्यावाचस्पति के विचार पढ़े। उसमें निम्न घटनाएँ लिखी गयी है :–

(1) हिन्दु कोड बिल के विरूद्ध एक मुसलमान सांसद भी बहुत बढ़ चढ़कर बोला करते थे। सच्चाई यह है कि वे सवर्णों द्वारा पैसे पर बिके हुए सांसद थे।

(2) उस समय के लोकसभा अध्यक्ष अनन्त शयनम् आयंगार भी गुप्त रूप से इस बिल के विरूद्ध थे। इसलिए वे बिल के विरोधियों को बोलने का अधिक समय देकर अप्रत्यक्ष रूप से संसद का समय नष्ट करते थे।

(3) अम्बेडकर जी ने लेखक सोनहलाल शास्त्री को कहा कि कुछ पण्डितों को तैयार करो जिन्हें घूस देकर इस बिल के पक्ष में जनमत खड़ा करने का दायित्व दिया जा सके। कोई सनातनी पण्डित तैयार नहीं हुआ तब शास्त्री जी ने एक प्रसिद्ध आर्यसमाज विद्वान को इस काम के लिए तैयार किया और उन्हें पांच हजार रूपये दिलवाए।

(4) अम्बेडकर जी ने करपात्री जी को संदेश भिजवाया कि वे वीतराग संन्यासी होते हुए भी ऐसे कोड बिल के विरोध की राजनीति कर रहे हैं यह उनका पतन है। स्वामी जी ने संदेश सुन लिया और चुप रहे।

(5) अम्बेडकर जी ने सोहनलाल जी के माध्यम से देश भर के चालीस विद्वानों की एक गुप्त बैठक बुलाई और इस बैठक में भिन्न–भिन्न विद्वानों को भिन्न–भिन्न प्रलोभन दिये गये।

(6) पण्डित नेहरू कोड बिल के पक्ष में थे किन्तु विरोध ज्यादा होने पर नेहरू जी भी अम्बेडकर जी का साथ छोड़ गये। अम्बेडकर जी के अनुसार नेहरू जी अपना प्रधानमंत्री पद किसी भी तरह बचाये रखना चाहते थे जो कोड बिल के कारण खतरे में पड़ सकता था। इसी लिए नेहरू पीछे हट गये। तब अम्बेडकर जी अकेले पड़ गये और बिल तत्काल पास न होने के विरोध में उन्होंने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया।

(7) हिन्दु कोड बिल लागू करने का प्रमुख लाभ संयुक्त परिवार प्रणाली को सम्मिलित परिवार प्रणाली में बदलना था। यह प्रयत्न हुआ भी। नये प्रावधान के अनुसार संयुक्त परिवार के स्थान पर Tenants in Common सम्मिलित परिवार प्रणाली मान ली गई।

इस पुस्तक में और भी कई ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है जो यह सिद्ध करती हैं कि अम्बेडकर जी ने हिन्दू कोड बिल को पास कराने में कितना उचित अनुचित तरीकों का सहारा लिया।

मुख्य प्रश्न यह उठता है कि हिन्दु कोड बिल पास कराने का सर्वाधिक श्रेय किसे हैं? अब तक मैं इसका सारा दोष नेहरू जी की पाश्चात्य सोच को देता हूँ किन्तु इस पुस्तक के पढ़ने के बाद समझ में आया कि नेहरू जी की अपेक्षा अम्बेडकर जी का योगदान बहुत अधिक रहा है। मेरे विचार में नेहरू जी और अम्बेडकर जी के बीच एक मौलिक अन्तर रहा है। नेहरू कोड बिल को हिन्दुओं के लिए उचित और लाभदायक मानते थे। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसे पास होते हुए देखना चाहते थे जबकि अम्बेडकर

जी के मन में कुछ भिन्न था। उन पर उच्च वर्ण के किये गये अत्याचारों की प्रतिक्रिया थी इसलिए वे इस बिल को अवसर और प्रतिष्ठा के साथ जोड़ कर देख रहे थे। अम्बेडकर जी हिन्दू का अर्थ सवर्ण हिन्दू तक मानकर चलते थे और वे लोग उनकी दृष्टि में अत्याचारी थे। हो सकता है कि कोड बिल को उन्होंने सवर्णो के लिए दण्ड स्वरूप मानकर अपनी आत्म तुष्टि के रूप में माना हो। स्थिति चाहे जो भी रही हो किन्तु मेरे विचार में हिन्दू कोड बिल पास कराने में अम्बेडकर जी की जल्दबाजी और साथ ही उनके अनुचित प्रयत्नों ने उनकी प्रतिष्ठा कम की है।

एक कोड बिल लाकर कुछ विषमताएँ दूर की जावें यह उस समय भी आवश्यक थी और आज भी है। सम्पत्ति में अधिकार का मामला आज तक नहीं सुलझ सका है। परिवार की संरचना में मैं संयुक्त परिवार प्रणाली को तोड़कर सम्मिलित या सहकार परिवार प्रणाली का विरोधी हूँ। हिन्दू कोड बिल के पक्षधरों की संयुक्त परिवार प्रणाली को कमजोर करके सहकार परिवार प्रणाली की सोच के लाभ कम और नुकसान अधिक हुए हैं। मुझे लगता है कि यह नेहरू जी की अधिक सोच होगी क्योंकि उन पर ही समाजवाद का भूत ज्यादा सवार था।

मैं अब भी इस मत का हूँ कि हिन्दू कोड बिल ने भारत की सामाजिक व्यवस्था में लाभ कम और विसंगतियाँ अधिक पैदा की हैं। यदि हिन्दू कोड बिल को समाजवाद का आधार बनाने के प्रयत्न के स्थान पर श्रम मूल्य को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दिया जाता तो जातीय विषमता भी कम हो जाती और आर्थिक विषमता भी। इससे सम्पूर्ण समाज की विसंगतियों को दूर करने पर विचार मंथन के द्वार भी बन्द नहीं होते। इतना जरूर है कि इससे समाजवाद और अत्याचार प्रतिक्रिया की इच्छाएँ पूरी नहीं होती जो शायद इन दो महापुरूषों पर सुधार की इच्छा से अधिक मजबूत दिखती है। अब भी आवश्यकता है कि हिन्दू कोड बिल के प्रावधानों के गुण दोषों पर एक नई बहस छिड़े।श्रम और बुद्धि के बीच बढ़ती खाई को श्रम के पक्ष में कम करने के प्रयत्नों को सामाजिक न्याय के लिए आधार मानने का प्रयोग किया जाय, संयुक्त परिवार प्रणाली को मजबूत किया जाय, सम्पत्ति के अधिकार में स्त्री पुरूष सबको बराबर की हिस्सेदारी दी जाए तथा अन्य मुद्दों पर भी बहस चले और तब एक ऐसी नागरिक संहिता बने जिसका धर्म या समाज के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न हो।

(ख) कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

1.आप छत्तीसगढ़ से जुड़े रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता विनायक सेन की गिरफ्तारी की चर्चा बहुत सुनाई पड़ती है। आपके विचार में क्या है?

उत्तरः— आजकल एक रिवाज सा चल रहा है कि अनेक संस्थाएँ अपने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को स्थापित और प्रतिष्ठित उच्चारणों के साथ समाज में स्थापित करने का प्रयास करती रहती हैं। धर्म निरपेक्षता, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय,सामाजिक स्वतंत्रता आदि शब्द पर प्रतिबद्ध संस्थाओं ने ऐसा नियंत्रण कर रखा है कि सच का पता ही नहीं चलता। यदि कभी सच उद्घाटित होने लगता है तो अनेक ऐसी अन्य संस्थाएँ उस असत्य को चारों ओर से सुरक्षा घेरे में ले लेती हैं। यह सुरक्षा घेरा कभी टूट नहीं पाता और असत्य उद्घाटित होने से बच जाता है। ऐसी योजना का लाभ उठाने वालों में वामपंथी बहुत आगे—आगे रहते हैं।

पी0यू0सी0एल0 एक ऐसी संस्था है जिस पर कई बार ऐसे आरोप लगे और सुरक्षा घेरे ने उनको बचा लिया। इस बार उनके प्रमुख पदाधिकारी विनायक सेन ऐसे फंसे कि सुरक्षा घेरा भी नहीं बचा सका और पोल खुल गई। प्रारम्भ में तो मानवाधिकार के नाम पर बने प्रतिबद्ध संगठनों ने ऐसा हल्ला मचाया कि इस बार भी पोल सुरक्षित बच जाने के लक्षण दिखने लगे थे। किन्तु छत्तीसगढ़ सरकार अन्त तक मजबूत रही और तब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सच्चाई सामने आ सकी।

मेरी रायपुर में एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इस बार हम लोगों ने न डरने का फैसला कर लिया है। अब तक परिस्थियाँ ऐसी होती थी कि हम डरते रहते थे, क्योंकि ये छद्म मानवाधिकारी इतने मायावी हैं कि ये कभी भी दिल्ली से कैसा भी आदेश निकलवाने की क्षमता रखते हैं। इस बार भी सबने नाटक खूब किया। इन सबकी पूरी टीम ने सड़को पर जुलूस तक निकाले। अखबारों में इनके समाचार और लेख भी खूब आयें चूहे से लेकर शेर तक ने अपने–अपने करतब दिखाये किन्तु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कोई यह कहने को तैयार नहीं है कि उसका दूर–दूर तक विनायक सेन से कोई रिश्ता है। विनायक सेन के साथ–साथ पी0यू0सी0एल0 भी कटघरे में खड़ा है और आँच तो रायपुर से लेकर दिल्ली तक स्थापित इनके सुरक्षा घेरे पर भी आई ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस घेरे को तोड़ने में सर्वोच्च न्यायालय तक जिस हिम्मत और सूझ–बूझ से काम लिया उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

(2) आप दो वर्गों की बात करते हैं। (1) गरीब ग्रामीण उत्पादन श्रमजीवी (2) अमीर शहरी उपभोक्ता बुद्धिजीवी। पहला वर्ग संचालित है और दूसरा संचालक। आप वर्ग संघर्ष का घातक बताते रहते हैं। दूसरी ओर आप वर्ग निर्माण को आवश्यक भी बता रहे हैं जिसका परिणाम वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। इस संबंध में आप और स्पष्ट करें कि क्या इस प्रकार के वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन देना आवश्यक है?

उत्तरः– वर्ग विभाजन, वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष ये चार स्थितियाँ होती हैं। वर्ग विभाजन एक सामान्य प्रक्रिया है। वर्ग निर्माण वर्ग संघर्ष का प्रथम वर्ग विद्वेष द्वितीय और वर्ग संघर्ष अंतिम चरण होता है वर्ग विभाजन वर्ग संघर्ष की दिशा में न जाकर वर्ग समन्वय तक ही रहे यह आदर्श स्थिति होती है। किन्तु यह बहुत कठिन कार्य होता है। वर्ग विभाजन को वर्ग समन्वय की दिशा में प्रोत्साहित करने का प्रयत्न शुरू होते ही चालाक लोग उस स्थिति का लाभ उठाने में सक्रिय हो जाते हैं। ये लोग वर्ग समन्वय के विपरीत वर्ग संघर्ष की दिशा में तेज गति से चल पड़ते हैं। बेचारा वर्ग समन्वयक पिछड़ जाता है और चालाक लोग वर्ग संघर्ष की दिशा में समाज को तोड़कर स्वयं को स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वतंत्रता के पूर्व स्वामी दयानन्द निर्मित आर्य समाज और महात्मा गाँधी ने अछूतों तथा पिछड़ों को समाज में वर्ग के रूप में समझा और वर्ग समन्वय के प्रयत्न शुरू किये। ज्यों ही यह वर्ग विभाजन स्पष्ट हुआ त्यों ही चालाक लोगों ने आर्य समाज और गाँधी के प्रयत्नों को किनारे करके वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष की राह पकड़ ली। उन लोगों ने इसी आधार पर स्वयं को स्थापित भी कर लिया किन्तु समाज वर्ग संघर्ष की आग में जलने लगा।

प्रश्न उठता है कि क्या वर्ग संघर्ष के भय से यथा स्थिति के साथ छेड़छाड़ न करें? मैं इसका विरोधी हूँ। हमें चाहिए कि हम शोषित पीड़ित अन्याय ग्रस्त वर्ग को राहत देने के प्रयत्न करें किन्तु सतर्क रहें कि चालाक लोग इस प्रयत्न का लाभ न उठा सकें। इसलिए गरीब ग्रामीण श्रमजीवि किसान को वर्ग के रूप में स्वीकार करके अमीर शहरी बुद्धिजीवी उपभोक्ता वर्ग के रूप में स्वीकार करके अमीर शहरी बुद्धिजीवी उपभोक्ता वर्ग से दिलवाने के प्रयत्न उचित और आवश्यक हैं।

इस सम्बन्ध मे मेरे जीवन मे एक घटना घटी। मैं वर्ग समन्वय का पक्षधर था और छुआछूत को नहीं मानता था मेरे साथ अछूत लोग भी बराबर के आधार पर दुकान में या घर में काम करते थे। सन् सत्तानवे के सम्मेलन के समय रसोई बनाने के क्रम में मेरे रसोईया स्टाफ ने मेरे अछूत स्टाफ ने मेरे अछूत स्टाफ को सलाह दी कि तुम रसोई कार्य में मत शामिल होना क्योंकि बाहर के लोग बात बतंगड़ बना सकते हैं। मेरे अछूत स्टाफ ने ही उक्त सलाह को बात का बतंगड़ बना दिया और झगड़ गया। जब मामला बढ़ा तो मैंने अछूत स्टाफ को नौकरी से यह कहकर निकाल दिया कि समान व्यवहार का आचरण करना हमारा कर्तव्य है, उसका अधिकार नहीं। मेरा यह निर्णय लम्बे समय तक विवादास्पद बना रहा किन्तु मैं आज भी उसका पक्षधर हूँ। मैं संतुष्ट हूँ कि हमारे पूरे शहर में सबसे अधिक सवर्ण––अवर्ण भाईचारा है। कोई भी व्यक्ति वहां देख सकता है।

मेरी मान्यता है कि यदि पीड़ित वर्ग का व्यक्ति उसी वर्ग का नेतृत्व करना शुरू कर देता है तो वह वर्ग समन्वय तक सीमित रह ही नहीं पाता। वह व्यक्ति दूसरे वर्ग को कर्त्तव्य की ओर प्रेरित करने की अपेक्षा अपने वर्ग के अधिकारों की प्ररेणा अधिक देता है। वह व्यक्ति शीघ्र ही इतना मजबूत हो जाता हैं और पहचान शोषित वर्ग के साथ बनी रहती है यह स्थिति बहुत घातक होती है हम लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव है कि अछूतों ने बढ़चढ़ कर इस संघर्ष में भाग लिया उन्होंने स्वयं को अमीर शहरी बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल कर लिया। इस वर्ग परिर्वतन के बाद भी वे अपनी पहचान इस गरीब ग्रामीण श्रमजीवी वर्ग के साथ इसलिए जोड़कर रखना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की प्रवृत्ति शोषक की बन गई है और वे अन्तिम दम तक उस पहचान का कोई फायदा नहीं छोड़ना चाहते।

यह एक विकट समस्या है। इसलिए मैं पूरी तरह सतर्क हूँ। मैंने इस सम्बन्ध में खूब समझा है। समाज में शहरी अमीर बुद्धिजीवी उपभोक्ता वर्ग में नब्बे प्रतिशत लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनके कार्य किसी एक दूसरे वर्ग पर अत्याचार के रूप में हैं। यदि इन नब्बे प्रतिशत को इस अत्याचार का पता चल जाये तो इनमें से अनेक की भूमिका बदल सकती है। इस वर्ग को अपने कत्तर्व्य के प्रति जागरूक करने की पहल करनी होगी। यदि कोई आंदोलन भी होगा तो वह इसी दूसरे वर्ग से शुरू होगा। यदि आन्दोलन गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान करेगा तो वह आन्दोलन सफल नहीं होगा क्योंकि इस वर्ग में इतनी शक्ति और योग्यता ही नहीं बची है कि वह आन्दोलन कर सके। यदि कोई व्यक्ति मजबूत होगा तो वह उस वर्ग के नाम पर स्वयं को दूसरे वर्ग में स्थापित करने की तिकड़म ही अधिक करेगा। इसलिए आन्दोलन की पहल अमीर शहरी बुद्धिजीवी उपभोक्ताओं के बीच से उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराकर करने की पहल की जा रही है। इस प्रयत्न में वर्ग संघर्ष का कोई खतरा नहीं है।

मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया जायेगा जो वर्ग संघर्ष की दिशा में ले जावे किन्तु वर्ग संघर्ष के डर से वर्तमान शोषण और अत्याचार को इसी तरह अनवरत चलते रहने की छूट को भी चुनौती तो अवश्य ही दी जानी चाहिए।

{ग} डॉ0 गोपीरंजन साक्षी, तिला रोड, सागर, मध्यप्रदेश।

आप जिस महत कार्य में जुटे हुए है उसकी जानकारी एक अभिन्न मित्र प्रभु–सत्यशीलम् प्रेस, सागर से ज्ञानतत्व –144 के रूप में उपलब्ध हुई। पृष्ठ –06 पर आपने लिखा है –''भारतीय संविधान लोकतांत्रिक विश्व के संविधानों में सबसे रद्दी संविधान है।'' तब तो निश्चत ही आपको डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद का अध्यक्ष संविधान सभा के रूप में कहा गया वह कथन याद ही होगा कि यद्यपि संविधान प्रारूप समिति में सात सदस्य थे लेकिन मैंने अपनी आँख से देखा है कि संविधान निर्माण का कार्य अकेले डॉ0 बी0आर. अम्बेडकर ने सम्पादित किया और हम लोग डॉ0 अम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्ति करने के अतिरिक्ति कोई दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकें।

अब यह स्वाभाविक है कि ज्ञानतत्व 139 पृष्ठ–12 के अनुसार ''संविधान मंथन में आप 1500 विद्वान दिल्ली में नवीन संविधान की संरचना में जुट गये हैं तो निश्चय ही वह बेहतर होगा। अब कहां एक व्यक्ति का कृतित्व और कहां 1500 सौ विशेषज्ञों का कृतित्व और तब की संसद को तो भारत में इतना सूझबूझ वाला व्यक्ति दिख ही नहीं रहा था। पंडित नेहरू की सरकार तो विदेश से संविधान विशेषज्ञ लाना चाहती थी। वह तो कहो महात्मा गाँधी के प्रबल समर्थन से डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को सर्वसम्मति से संविधान प्रारूप संरचना के लिए चुना गया।

जब आप हम सवा अरब भारतवासियों के भाग्य निर्माता बनकर हिन्दुओं की संरचनाओं की पृष्टभूमियों का अध्ययन तो कर ही डाला होगा। तब तो आप जनों को डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर के संविधान सभा में वर्तमान संविधान को समर्पण के समय कहा गया कथन भी याद होगा ही ''संविधान के पालनकर्त्ताओं की नियत ठीक है तो बुरे संविधान से भी अच्छा कार्य कर सकेंगे और इसके विपरीत संविधान

में पालनकत्ताओं की नियत खराब है तो अच्छे से अच्छा संविधान भी दुष्परिणाम देगा। अब आप तो जानते ही है कि संघ आजाद भारत के संविधान के समय देश में शिक्षितों की क्या स्थिति थी। किन विद्रूपताओं में भारत घिरा था और डॉ0 अम्बेडकर तो अति पिछड़ी जाति के थे। आप पूर्ण ईमानदारी से बताने का कष्ट करें कि आपके इन 1500 रत्नों में ब्राह्मण,क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़े अतिपिछड़े अन्य अल्पसंख्यक कितनी–कितनी संख्या में हैं जिससे पारदर्शिता के आधार पर हम सहज जान सकेंगे कि भारत की सभी कौमों की शुभचिन्तकों की भागीदारी नवनिर्मित संविधान सभा में है और उनकी विशेषज्ञता बता सकेंगे तो और पारदर्शिता होगी।

ऐसा मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि सड़कों पर हो–हल्ला मचाने वालों में तो प्रायः असंस्कृत, दुष्टचित्तवृत्ति के लोगों का ही जमावड़ा होता है जिसे चुस्त चालाक लोग आवेश में लाकर आत्मदहन, दंगाफसाद, प्रदर्शन संविधान को बदलने की दिशा में इस्तेमाल कर लेते हैं।

आप जन तो ज्ञानतत्व 139 के अनुसार 17 अक्टूबर 07 को जन्तर–मन्तर में जमावड़ा किए। मीडिया तो ठीक–ठाक खबरे देता नहीं आप की पत्रिका से जानकारी पा सके। अतः मेरे पते पर नियमित अंक भेजने की कृपा करें।

आप जन से यह छिपा नहीं है कि भारत में आर्यों के आगमन पश्चात् दिन पर दिन मूल–वासियों की दशा गिरती ही चली गयी। अवताओं से भी दलितोद्धार नहीं हो सका उनकी दीन दशा की जनक मनुस्मृति रही जिसकी काली छाया से आज भारत की 65 प्रतिशत जनता आक्रानत है संविधान पालको ने अपनी दोगली वृत्ति से उनका हक 60 वर्षों में पूरा नहीं किया। बैकलाग आज तक खाली पड़ा है बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी इसी साजिश का उपक्रम है। आप के उत्तर से आपकी नीयत प्रमाणित होगी। हाथी के खाने के दांत दिखाने के और मानवता प्रधान समतामूलक ही भारत की दीन–दशा का एकमात्र हल है।

उत्तरः– मैंने अब तक सून रखा है कि संविधान बनाने में नेहरू जी की मनमानी चली और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ऐसे संविधान के पक्ष में नहीं थे। मुझे कई बार बताया गया कि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ऐसे संविधान के पक्ष में नहीं थे। मुझे कई बार बताया गया कि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। उन्होंने कई जगह असंतोष भी व्यक्त किया और विरोध भी किन्तु उनकी बात सुनी ही नहीं गई और उन्हें संविधान में वह सब शामिल करना पड़ा जो उचित नहीं था। संविधान लागू होने के बाद भी अम्बेडकर जी ने अपना संतोष व्यक्त किया था। स्वभाव और सोच के अनुसार भी अम्बेडकर जी गाँधी जी के ग्राम स्वराज्य प्रणाली के अधिक पक्षधर थे। मैं मानता रहा हूँ कि यदि अम्बेडकर जी की इच्छानुसार सब कुछ बना होता तो संविधान में ग्राम स्वराज्य का गला घोंटकर उसे नीति निर्देशक सिद्धान्तों की जूठन में शामिल नहीं किया जाता। आपके पत्र के बाद पहली बार मुझे पता चला कि भारत का यह रद्दी संविधान अकेले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है जिसमें नेहरू राजेन्द्र प्रसाद पटेल आदि की कोई भूमिका नहीं होने से वे इसके लिए दोषी नहीं है। यद्यपि मुझे अम्बेडकर जी के लिए आपके निष्कर्ष कर विश्वास नहीं होता किन्तु फिर भी मैं और अधिक जानने की कोशिश करूंगा। यदि आप भी इसमें मदद करेंगे तो मैं अपने निष्कर्षों में संशोधन करूंगा, क्योंकि अब तक मैं संविधान की कमजोरियों के लिए जिन महापुरूषों की आलोचना करता रहा, संभव है कि मेरी जानकारी गलत निकले।

संविधान मंथन सभा जिन पन्द्रह सौ विद्वानों के नाम चयन कर रही है उसमें कितने लोग किस जाति के हैं यह न तो मुझे पता है न ही पता करना संभव है, न ही आवश्कता है क्योंकि संविधान पर विचार मंथन के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है उसमें जाति न कहीं बाधक है न साधक। फिर साक्षी शब्द को किस जाति वर्ग में जाना जाय यह बहुत कठिन कार्य है। इसलिए मैं इस अनावश्यक कसरत से दूर हूँ। एक बात मैं जरूर देख रहा हूँ कि इस टीम में ग्रामीण गरीब श्रमजीवी उत्पादक वर्ग के लोगों का अभाव है क्योंकि इस वर्ग के लोग न तो समय दे सकते है न ही आने–जाने का मार्गव्यय खर्च करने की क्षमता रखते हैं। यह हमारी मजबूती है कि इस टीम में अधिकांश लोग शहरी, बुद्धिप्रधान,सम्पन्न, उपभोक्ता

ही रहेगें। फिर भी दूसरे वर्ग के कुछ लोग रहे तो हमें खुशी ही होगी अब तक जो चार सौ नाम तय हुए है उनके नाम ज्ञानतत्व में प्रकाशित हो चुके हैं और नाम तय होंगे तो जाएंगे आप भी मदद करें तो अच्छा है।

आपने डॉ0 अम्बेडकर के नाम से कोई वाक्य इतने बड़े विद्वान का हो ही नहीं सकता। यदि व्यवस्था पर संविधान का नियंत्रण नहीं हो सकता और पालन करने वाले संविधान के रहते हुए भी उससे हटकर व्यवस्था चला सकते हैं तो फिर संविधान की जरूरत ही क्या? क्यों नहीं सारी शक्ति पालन करने वालों की नीयत ठीक करने में ही लगा दी जाये। यदि संविधान सर्वोच्च भी है और महत्वपूर्ण भी तो संविधान के दुष्परिणाम का दोष पालन करने वालों की नीयत पर डालना ठीक नहीं। क्या हम ऐसे संविधान की प्रशंसा करते रहें जो बुरी नीयत वालों की सहायता करने लगता है? मुझे उत्तर चाहिए कि संविधान की भूमिका निष्क्रिय है या नियंत्रक सिर्फ गोबर–गणेश की भूमिका तक सीमित है तो मैं संविधान संशोधन का पक्षधर हूँ।

आप मेरी नीयत की परख कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि कम से कम कोई तो ऐसा है जो नीतियों पर चर्चा से हटकर नीयत पर चर्चा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी नीयत पर विश्वास करते हुए नीतियों पर भी विचार मंथन को आगे बढ़ाने की कृपा करें।

(घ) हिन्दू स्वराज्य विचार मंच – दिल्ली

अखिल भारतीय समाज विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता समिति दिल्ली–92

क. अखिल भारतीय समाज विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता 2007 द्वारा संपन्न कराई गयी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हेतु चयनित प्रतिभागियों का पुरस्कार समारोह मेवाड़ संस्थान, सेक्टर–4 सी, बसुन्धरा, दिल्ली –गाजियाबाद लिंक रोड, गाजियाबाद –201012 उ0प्र0 पर दिनांक 09–02–2008 को प्रातः 10.30 से आरम्भ होगा। दूरभाष :0120& 2883970 व 79

ख. जिला स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हेतु चयनित प्रतिभागियों की घोषणा 25 जनवरी 2008 की जावेगी।

ग. सभी प्रतियोगिता केन्द्रों/जिलों से 10 जनवरी 08 तक सभी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं शुल्क राशि सहित अनिवार्यतः केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली को प्राप्त हो जाना चाहिए।

घ. जिस परीक्षा केन्द्र एवं जिले में लिखित प्रतियोगिता उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में कोई व्यवहारिक कठिनाई हो तो उनके संयोजकों से अनुरोध है कि अमूल्यांकित समस्त उत्तर पुस्तिकाएं शुल्क राशि सहित दिनांक 05 जनवरी 08 तक सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भली प्रकार सम्पन्न हो जावे तथा कोई भी योग्य प्रतिभागी जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने से वंचित न रहे।

च. राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 200 किलो मीटर से अधिक दूरी के स्थानों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने आने वाले प्रतिभागियों को दिल्ली आने जाने का रेलवे स्लीपर क्लास का किराया मांगे जाने पर केन्द्रीय समिति द्वारा दिया जावेगा। रेलवे टिकट क्रय करने तथा आरक्षण कराने आदि का दायित्व संबंधित व्यक्ति का ही होगा।

छ. 12 फरवरी 08 से लगभग एक माह तक देश के विभिन्न प्रतियोगिता केन्द्र (महाविधालय)/जिलों में स्थानीय स्तर पर चयनित प्रतियोगियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने हेतू तिथियों का निश्चय केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली द्वारा जिला संयोजकों की सहमति से किया जावेगा ताकि उक्त समारोहों में श्री बजरंगमुनि मुख्य वक्ता के रूप में निश्चित स्थान व समय पर पहुंच सके। यह कार्यक्रम 25 जनवरी 08 तक निश्चित हो जाना उचित होगा।

ज. पूर्व में महाविधालयों/ जिला संयोजकों के लिए प्रेषित सूचनानुसार स्थानीय स्तर पर पुरस्कारों एवं पुरस्कार समारोह की सम्पूर्ण व्यवस्था संयोजक महोदय स्थानीय समिति/संरक्षक/स्वागताध्यक्ष आदि के सहयोग से सम्पन्न करेंगे। उसी समय समस्त सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार हेतु चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जावेगा। मुख्य वक्ता श्री बजरंगमुनि के यात्रा व्यय का भार केन्द्रीय समिति वहन करेगी।

धन्यवाद सहित।

(ओम प्रकाश दुबे)

राष्ट्रीय संयोजक

अ0भा0स0वि0प्र0प्र0 समिति दिल्ली–9